Entry of multinationals in marine fishery sector

2108. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received representations from Indian Fishery Association against the entry of multinationals into the marine fishery sector;

(b) if so, the details thereof;

(c) what steps are proposed to reserve adequate marine resources for Indian fishing sector and Indian owned fishing vessels; and

(d) what steps are proposed to restrict entry of multinationals and foreign companies into marine fishing?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Various fishermen's associations have represented against the entry of multinationals and big industrial houses into the deep sea fishing sector.

(b) These Associations inter alia demanded that licences for deep sea fishing by multinationals and big industrial houses should be cancelled as they are alleged to do indiscriminate fishing.

(c) and (d) No licence has been issued to multinationals and foreign companies for fishing in Indian Exclusive Economic Zone. However, a number of Indian Companies have been permitted to set up joint venture companies in collaboration with foreign fishing companies, for deep sea fishing in Indian waters by acquisition of vessels through purchase/base. Operation of such vessels are allowed only beyond the territorial waters are reserved for traditional fishermen.

खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

2109. श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान फलों, सब्जियों और उनके उत्पादों का अलग-अलग वर्ष-वार कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां उपलब्ध हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार इन मदों की कितनी-कितनी मात्रा उपलब्ध रही है ;

(च) क्या यह भी सच है कि फलों और सब्जियों की बिना उपयोग नष्ट हो जाने की मात्रा को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावकारी प्रयास नहीं किये गये हैं ;

(छ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ज) वर्ष 1990–91 और 1993–94 के दौरान कितनी-कितनी प्रतिशत फल और सब्जियां नष्ट हुई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित प्रसंस्कृत खाद्यों जिनमें प्रसंस्कृत